रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2011/पौष 1, 1933
No. 252] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2011/PAUSA 1, 1933

श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान

अधिसूचना

त्रिवेंन्द्रम, 20 दिसम्बर, 2011

फा. सं. डीआर-III (4)/5/2010/सं. डीएसटी/एआई/प्रशासन/1-35/2011/एससीटी.— श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंन्द्रम, अधिनियम, 1980 (1980 का 52) की धारा 13 के खंड (छ) और विनियम 31 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंन्द्रम, विनियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

i. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विनियम, 2011 है।

ii. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, विनियम, 1981 की अनुसूची 4 में निम्नलिखित डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और शैक्षिक विशिष्टताएं जोड़ी जाएंगी :-

6. संवहनीय शल्य चिकित्सा में पश्च डोक्टोरल-1991

7. डीएम तंत्रिका इमेजिंग और अंतरायण तंत्रिका विज्ञान 2000

8. डीएम हृदवक्षीय और संवहनीय अनेस्थीजिअ-2004

9. डीएम तंत्रिका अनेस्थीजिअ-2004

10. एमसीएच संवहनीय शल्य चिकित्सा-2007

11. निम्नलिखित में डीएम/एमसीएच पश्च फैलोशिप (2000 के पश्चात्) :

(क) तंत्रिका विज्ञान (1) संज्ञेय और व्यवहारवादी तंत्रिका विज्ञान
(2) इलैक्ट्रो मस्तिष्क-चित्रणा
(3) अपस्मार रोग
(4) स्पंदन दोष

(ख) हृदयविज्ञान (1) बाल चिकित्सा हृदय विज्ञान
(2) हृदय इलैक्ट्रो भौतिक चिकित्सा
(3) ऑडिट हृदय विज्ञान और अंतरायण

(ग) तंत्रिका शल्य चिकित्सा (1) प्रमस्तिष्क संवहनीय शल्य चिकित्सा
(2) कपाल आधार शल्य चिकित्सा

(घ) हृदसंवहनीय और वक्षीय शल्य चिकित्सा :
(1) ऑडिट हृदय शल्य चिकित्सा
(2) बाल हृदय शल्य चिकित्सा

12. लोक स्वास्थ्य में निष्णात 1997

13. अनुप्रयोगिक महामारी विज्ञान निष्णात 2000

14. लोक स्वास्थ्य में डिप्लोमा 2005

15. विज्ञान निष्णात (जैव इंजीनियरिंग) 2006

16. नैदानिक इंजीनियरी प्रौद्योगिकी निष्णात 2008

17. बायो चिकित्सा प्रौद्योगिकी में एम.फिल. 2009

18. हृदसंवहनीय और वक्षीय परिचर्या में डिप्लोमा

19. तंत्रिका परिचर्या में डिप्लोमा

20. हृदय प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा

21. तंत्रिका प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा

22. नैदानिक द्रवनिवेशन में डिप्लोमा

23. रक्त बैंकिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा

24. चिकित्सा अभिलेख विज्ञान में डिप्लोमा

25. शल्य चिकित्सा कक्ष प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा

26. उन्नत चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा

टिप्पण : श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, अधिनियम, 1980 की धारा 24 के अनुसरण में पूर्वोक्त 6-13 डिग्री पाठ्यक्रमों को, उन व्यक्तियों को जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के अधीन मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता रखते हैं, दी गई आयुर्विज्ञान डिग्रियां माना जाएगा और उन्हें उस अधिनियम की पहली अनुसूची में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा।

2. विनियम 31 (अनुसूची 4) में पूर्वोक्त संशोधनों को संस्थान निकाय के अनुमोदन से (तारीख 4-12-2010 का संकल्प) और केन्द्रीय सरकार के डीएसटी पत्र सं. डीएसटी/एआई/प्रशासन/1-35/2011/एससीटी तारीख 2-12-2011 द्वारा जारी किया जाता है।

प्रो. के. राधाकृष्णन, निदेशक

[विज्ञापन III/4/191-बी/11/असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन अधिसूचना सा.का.नि. 618, तारीख 23 जून, 1981 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) तारीख 4 जुलाई, 1981 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. डीआर III (i)/5/81, तारीख 18 जनवरी, 1982 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे।

SHREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

NOTIFICATION

Thiruvananthapuram, the 20th December, 2011

F. No. DR-III(4)/5/2010/No. DST/AI/Admn./1-35/2011/SCT.—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Act, 1980 (52 of 1980) read with clause (g) of Section 13 of the said Act and Regulation 31, the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Regulations, 1981, namely :—

1. Short title and commencement :

i. These regulations may be called the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology (Amendment) Regulations, 2011.

ii. *They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.*

2. In the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Regulations, 1981 in Schedule IV, the following degrees, diplomas, certificates and academic distinctions shall be added :

6. Post Doctoral Certificate Course in Vascular Surgery 1991
7. DM Neuro Imaging and Interventional Neuroradiology-2000
8. DM-Cardiothoracic and Vascular Anaesthesia 2004
9. DM Neuroanaesthesia 2004
10. MCh Vascular Surgery 2007
11. *Post DM/MCh Fellowships in (after 2000)* :
    - (A) Neurology (1) Cognitive and Behavioural Neurology
      - (2) Electroencephalography
      - (3) Epilepsy
      - (4) Movement Disorders
    - (B) Cardiology (1) Paediatric Cardiology
      - (2) Cardiac Electrophysiology
      - (3) Audit Cardiology and Interventions
    - (C) Neurosurgery (1) Cerebrovascular Surgery
      - (2) Skull base Surgery
    - (D) Cardio Vascular & Thoracic Surgery :
      - (1) Audit Cardiac Surgery
      - (2) Paediatric Cardiac Surgery
12. Master of Public Health 1997
13. Master of Applied Epidemiology 2000
14. Diploma in Public Health 2005
15. Master of Science (Bioengineering) 2006
16. M. Tech Clinical Engineering 2008
17. M. Phil Biomedical Technology 2009
18. Diploma in Cardiovascular & Thoracic Nursing
19. Diploma in Neuro Nursing
20. Diploma in Cardiac Laboratory Technology
21. Diploma in Neuro Technology
22. Diploma in Clinical Perfusion
23. Diploma in Blood Banking Technology

24. Diploma in Medical Records Science
25. Diploma in Operation Theatre Technology
26. Diploma in Advanced Medical Imaging Technology

Note : In accordance with Section 24 of the SCTIMST Act, 1980, the degree courses 6-13 above are to be treated as medical degrees awarded to those persons holding recognized medical qualifications under the Medical Council of India Act, 1956 (102 of 1956) and shall be deemed to be included in the First Schedule to that Act.

2. The above amendments to the Regulation-31 (Schedule-IV) are issued with the approval of the Institute Body (resolution dated 4-12-2010 and the Central Government vide DST letter No. DST/AI Admn./1-35/2011/SCT dated 2-12-2011.

Prof. K. RADHAKRISHNAN, Director

[ADVT. III/4/191-B/11 Exty.]

Note : The Principal regulations were published under Notification of the Government of India in the Department of Science and Technology *vide* G.S. R. 618, dated 23rd June, 1981 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 4th July, 1981 and were subsequently amended by Notification No. DR-III(i)/5/81, dated 18th January, 1982 published in the Gazette of India, Part III, Section IV.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054